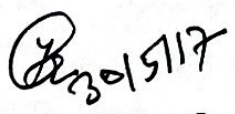
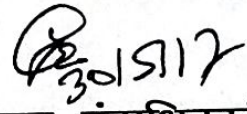


आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<u>न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छतरपुर (पलामू)।</u> <u>विविध वाद संख्या-126/2017</u> <u>धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता</u> मो० क्यूम अंसारी एवं अन्य --- प्रथम पक्ष <u>बनाम</u> मुमताज अंसारी एवं अन्य---- द्वितीय पक्ष यह प्रक्रिया धारा 144 द०प्र०सं० के अन्तर्गत आवेदक मो० क्यूम अंसारी पिता सुलेमान मियाँ एवं गुलाम मुस्ताक पिता महबुब आलम दोनों ग्राम-मड़वा(कजरु), पोस्ट-उदयगढ़, थाना-छतरपुर, जिला-पलामू ने 1. मुमताज अंसारी 2. लतीफ अंसारी 3. इसराईल अंसारी तिनों के पिता रमजान मियाँ 4. रमजान मियाँ पिता करिमन मियाँ 5. असलम अंसारी पिता इसहाक मियाँ 6. नेजाम अंसारी पिता रहमान मियाँ 7. फकीर मोहम्मद पिता उदन मियाँ ग्राम-मड़वा, पोस्ट-उदयगढ़, थाना-छतरपुर, जिला- पलामू के विरुद्ध धारा 144 द०प्र०सं० अन्तर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया। उक्त आवेदन पत्र के	P.N. 41 12.07.17 P.N. 56 22.8.17

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	आलोक में थाना प्रभारी, छतरपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। थाना प्रभारी, छतरपुर ने अपने DR No.- 993/17 दिनांक 24.03.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। दोनों पक्षों के दखल कब्जा को लेकर शांति भंग होने की प्रबल संभावना को देखते हुए धारा 144 द0प्र0सं0 अन्तर्गत प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गई। उभय पक्षों द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया। प्रथम पक्ष का कथन है कि मौजा-मड़वा (कजरु) के खाता सं0 99, प्लॉट सं0 1267, रकबा-0.4 एकड़ चौहदी उतर- निज एवं रास्ता, दक्षिण-रमजान मियाँ, पुरब-सतार मियाँ, पश्चिम- असलम अंसारी । उक्त भूमि भूतपूर्व जमींदार सोबराती खलीफा एवं चाँद खलीफा के द्वारा सुलेमान मियाँ एवं महबुब मियाँ को हासिल है और भूतपूर्व जमींदार के द्वारा सुलेमान मियाँ एवं महबुत मियाँ के नाम पर जमींदारी रसीद निर्गत हुआ है तथा जमींदारी उन्मूलन के बाद से सरकारी रसिद खुलेमान मियाँ एवं महबुब मियाँ के नाम पर निर्गत होते चला आ रहा है। द्वितीय पक्ष के कारण पृच्छा में कथन है कि मौजा मड़वा(कजरु) के खाता सं0 99, प्लॉट सं0 1267, रकबा 0.4 एकड़ भूमि बंदोबस्ती से घुरी मियाँ को प्राप्त है तथा जमींदारी उन्मूलन के बाद से घुरी मियाँ के बड़े पुत्र रमजान मियाँ के नाम से मांग चलते आ रहा है एवं लगान रसिद निर्गत होते चला आ रहा है।



आदेश की म संख्या तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	प्रथम पक्ष के द्वारा दावे के समर्थन में सरकारी लगान रसिद (2015-16), खतियान के नकल की छायाप्रति, मौजा-मड़वा के सर्वे नक्शा की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज की छायाप्रति समर्पित किया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा दावे के समर्थन में सरकारी लगान रसिद (2002-03) की छायाप्रति, एवं अन्य दस्तावेज की छायाप्रति समर्पित किया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सूना। कारण पृच्छा एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त ज्ञात होता है कि विवादी भूमि से संबंधित राजस्व दस्तावेज प्रथम पक्ष के दावे को बल प्रदान करती है, साथ ही सम्पूर्ण प्रक्रिया की समीक्षा से भी प्रथम पक्ष का दावा ठोस प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रक्रिया अन्तर्गत निर्गत नियम प्रथम पक्ष के पक्ष में रिक्त की जाती है तथा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष की जाती है। लेखापित एवं संशोधित  अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।  अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।	P.N.-41 12.07.17